

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष: 0551-2580010, 2580090, फ़ैक्स: 0551-2580020

वेबसाइट: www.gldagkp.org, ई-मेल: www.ceoglda-up@up.gov.in

गीडा द्वारा औद्योगिक क्षेत्र **भीटी रावत**, सेक्टर-26 में **औद्योगिक भूखण्ड योजना-2021** लायी गयी है, जिसमें आवेदकों/उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। योजना में आवेदकों/उद्यमियों से आवेदन पूर्णतया ऑनलाइन किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ अन्य प्रपत्रों को अपलोड किये जाने के साथ आवेदन का पंजीकरण शुल्क भी ऑनलाइन ही जमा किया जायेगा। योजना में प्रस्तावित भूखण्डों का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.99 एकड़ (3996.35 वर्ग मीटर) तथा अधिकतम क्षेत्रफल 6.00 एकड़ (22288.65 वर्ग मीटर) है।

**योजना में
आवेदन प्रारम्भ
होने की तिथि
15-01-2021**

योजना में प्रस्तावित भूखण्डों के
सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष 2020-21
हेतु निम्नानुसार आवंटन दरें
निर्धारित की गयी हैं:-

**योजना में
आवेदन करने
की अन्तिम तिथि
10-02-2021**

क्रमांक	भूखण्ड का क्षेत्रफल	दर (रु. प्रति वर्ग मीटर)
1.	0 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक	₹ 6,000/-
2.	4001 वर्ग मीटर से 20000 वर्ग मीटर तक	₹ 5,600/-
3.	20001 वर्ग मीटर से 80000 वर्ग मीटर तक	₹ 5,200/-
4.	80001 वर्ग मीटर से ऊपर प्रति वर्ग मीटर	₹ 4,800/-

(उल्लिखित भूखण्डों की अवस्थिति के अनुसार अवस्थिति शुल्क योजना में निर्धारित दरों के अनुसार पृथक से देय होगी।)

महत्वपूर्ण: आवंटन तिथि पर लागू आवंटन की दर पर ही आवंटन किया जायेगा।

गीडा द्वारा ऑनलाइन प्राप्त समस्त आवेदनों का परीक्षण, परीक्षण-समिति द्वारा किया जायेगा। परीक्षण समिति के द्वारा पात्र पाये गये आवेदकों (व्यक्तिगत/साझेदारी फर्म/कम्पनी) के मध्य गीडा आवंटन नियमावली के अनुसार भूखण्डों का आवंटन प्रपत्रों के परीक्षण एवं साक्षात्कार समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में गीडा का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। प्रस्तावित माप के भूखण्ड की संख्या व क्षेत्रफल घट व बढ़ सकती है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा आवंटन के पूर्व या पश्चात किसी नियम एवं आवंटन प्रक्रिया में परिवर्तन या पूरी आवंटन प्रक्रिया को निरस्त किया जा सकता है।

औद्योगिक भूखण्ड योजना-2021 में प्रस्तावित भूखण्डों की सूची, योजना के नियम एवं शर्तें तथा अन्य विवरण गीडा की वेबसाइट www.gldagkp.in पर देखा जा सकता है। केवल उक्त वेबसाइट के माध्यम से ही सम्बन्धित स्वहस्ताक्षरित अपलोडेड प्रपत्रों के साथ ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जायेगा।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा/गोरखपुर